न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 283/17 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

प्रार्थीगण :– 1. रहीमतला 2.अमीर पि.सनुदा खां 3.फाती बेवा सनुदा खां 4.सरीफ 5. रामदीन पि. माहबत, जाति मुसलमान, निवासी ईटादा तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1. माधाराम पुत्र मेहूराम 2.प्रतापचन्द पुत्र मानाराम जाति मेघवाल 3.रमदान 4.मलार 5.सुमार 6.सलीम पि. मनाई जाति मुसलमान निवासी ईटादा, तहसील सेड़वा 7.तहसीलदार सेड़वा 8.शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई.चौहटन

वकील प्रार्थीगण :– श्री मोहनसिंह सोढ़ा

विप्रार्थीगण वकील :– एकतरफा

निर्णय

दिनांक 07.03.18

प्रार्थीगण रहीमतला पुत्र सनुदा खां वगैरा जाति मुसलमान, निवासी ईटादा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सदभावी काश्तकार है। प्रार्थीगण की खातेदारी, कब्जे काश्त की जोत मौजा ईटादा, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में खसरा नं. 232 रकबा 57.10 बीघा स्थित है। उसकी उक्त जोत पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत के चारों ओर के काश्तकार अपनी अपनी काश्त कर लेते है। जिससे प्रार्थीगण अपनी जोत में आने जाने से बाधित होता है। अतः प्रार्थीगण को विप्रार्थीगण के खसरा सं. 957/231 रकबा 09.03 बीघा, खसरा सं. 958/231 रकबा 20.10 बीघा, खसरा सं. 229 रकबा 28.15 बीघा, खसरा सं. 929/197 रकबा 60.04 बीघा भूमि मौजा ईटादा में रास्ता दिया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त होने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रार्थीगण के अधिवक्ता के निवदेन पर तहसीलदार को मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार सेड़वा से उपरोक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा प्राप्त । जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया । मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थीगण को सुना गया। वकील प्रार्थीगण ने तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट स्वीकार की ।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । सलंग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण के खेत से गांव , आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बीघा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	957/231	09.03	बा.सो.	26 फीट	00.04	ईटादा	बिला कब्जा मुमकीन राजस्थान सरकार
2	958/231	20.10	बा.सो.	26 फीट	1.10	ईटादा	माधाराम वल्द मेहुराम, प्रतापचन्द वल्द मानाराम, कौम मेघवाल, सा.ईटादा खातेदार

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा वर्णित उपरोक्त खसरा नं. 957/231 एवं 958/231 के अंदर से जो रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीगण द्वारा देय होगी और प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया 26 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में लाल रंग दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।

2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।

3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी । क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. नए प्रस्तावित 26 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "**रास्ता**" के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।
5. प्रार्थीगण को उक्त 26 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित ख़सरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया तथा 26 फीट चौड़ा रास्ता दिए जाने का आदेश आज दिनांक 07.03.2018 को दिया जाता है। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सोड़का

क्रमांक /LR/2018/ 125 दिनांक 12-1-18

प्रेषित:- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चौहटन

विषय:- राजस्व आवेदन स० 283/17 अनवान रहीमतुल्ला वगैरा बनाम माधाराम वगैरा अन्तर्गत राज० काश्त० अधिनियम की धारा 251 ए में मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु।

प्रसंग :- श्रीमान जी के पत्रांक / रीडर /2017/2293 दि० 28.12.17

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के प्रासंगिक आदेश की पालना में भू.अ.निरीक्षक बीजासर को मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आदेशित किया गया।

भू.अ.निरीक्षक बीजासर एवं हल्का पटवारी इटादा द्वारा दिनांक 6-1-18 को मौके पर मौका निरीक्षण कर मौतबरान व प्रार्थी के रूबरू मौका रिपोर्ट नये रूबरू प्रस्तावित रास्ता की तैयार कर पेश की गयी।

भू.अ.निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी ने 26 फीट चौड़ा प्रस्तावित रास्ता चाहा है। नये प्रस्तावित रास्ते में कोई कीमती वृक्ष या मकान वगैरा नहीं है, तथा नये प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ते को बरंग लाल दर्शाया गया है।

अतः भू.अ. निरीक्षक बीजासर द्वारा पेश मूल मौका फर्द मय नक्शा बरंग दर्शाया हुआ श्रीमान जी की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय

11/1/18

तहसीलदार (भू.अ.) सोड़का

मौका फर्द

आज दिनांक 6-1-2018 को श्रीमान् तहसीलदार साहब सेड़वा के आदेश क्रमांक |LR|2018|30 दिनांक 3-1-18 की पालना में न्यायालय सहायक कलक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी चौहटन के राजस्व आवेदन सं. 283/17 अनवान रहीमतुला वगैरा बनाम माधाराम वगैरा अन्तर्गत राज० काश्त० अधिनियम की धारा 251 A में मौका रिपोर्ट तैयार करने हमराह पटवारी हल्का इरादा के साथ मौके पर पहुंचा।

मौके पर प्रार्थी रहीमतुला वगैरा हाजिर मिले विप्रार्थी माधाराम वगैरा मौके पर बावजुद इतला के उपस्थित नहीं हुए। प्रार्थी द्वारा अपने खेत खसरा नम्बर 232 रकबा 57-10 बीघा से धनाऊ से गागरिया चलने वाली पक्की डामर सड़क तक पहुंचने के लिए रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थी ने न्यायालय से ख०न० 957/231 रकबा 9-03 बीघा ख०न० 958/231 रकबा 20-10 ख०न० 229 रकबा 28-15 बीघा ख०न० 229/193 रकबा 60-04 बीघा में रास्ता चाहा है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 232 रकबा 57-10 बीघा से आगे चाहे गए खसरा नम्बरान का मौका प्रार्थी एवम् मौतबिरान को साथ रखकर देखा गया। प्रार्थी के ख०न० 232 के बाद ख०न० 957/231 रकबा 9-03 (राजकीय भूमि) ख०न० 958/231 रकबा 20-10 बीघा (खातेदार माधाराम पुत्र मेहुराम प्रतापचन्द पुत्र मानाराम जाति मेघवाल) के खेत से लगता हुआ एक करान मार्ग ख०न० 230 जो धनाऊ गागरिया सड़क को लगता है। मौके अनुसार इन दो खसरों से करान मार्ग तक आने के बाद करान मार्ग में होते हुए गागरिया - धनाऊ सड़क तक आया जाया जा सकता है। उक्त मार्ग प्रार्थी के खेत तक आने जाने के लिए वैकल्पित रास्ता हो सकता है। प्रस्तावित मार्ग से सड़क तक आने जाने के लिए प्रार्थी ने 26 फीट मार्ग चाहा है उक्त प्रस्तावित मार्ग में कोई कीमती वृक्ष या मकान वगैरा नहीं है। उक्त मार्ग के अलावा प्रार्थी के खेत तक आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पित मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी ने पूर्व में ख.न. 229 व 229/193 में रास्ता चाहा था लेकिन इन खसरों से पहले करान मार्ग आता है जो कि धनाऊ - गागरिया चलने वाली पक्की सड़क तक जाता है। लिहाजा करान मार्ग

(शेष अगले पेज पर)

Ex-count

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

6.1.18 पटवारी

फोटो

(आलमखान S/o जोगलाल केवा)

(दावलखां S/o अनीफ मु.)

अलि० रमदान S/o मनाई मु.

अलि रसूल S/o आरबखां

मलार S/o मनाई मु.

तक के ही खसरों का प्रस्ताव प्रार्थी की सहमती से तैयार किया गया हैं प्रस्तावित 26 फीट के मार्ग को संलग्न नक्शे में बरंग लाल दर्शाया गया हैं जिसका कुल रकबा (ख० नं० 957/231 में 0-04 बीघा व ख० नं० 958/231 में 1.10 बीघा) 1.14 बीघा एक बीघा चौदह बिस्वा बनता हैं जो असिंचित हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है -

क्र० सं०	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	डी० एल० सी० दर	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
01	02	03	04	05	06	07	08	9
1.	बिला कब्जा मुमकीन राजस्थान सरकार	957/231	9-03 बीघा	26 फीट	0-04 बीघा	26500/-	5300 के दुगने 10,600	बा० सोयम
2.	मायाराम वल्द केहुराम प्रतापचन्द वल्द मानाराम कौम मेघवाल सा० इरादा खातेदार	958/231	20-10	26 फीट	1-10 बीघा	~~39750~~ के 26500	39750 के दुगने 79500	बा० सोयम
	योग				1-14 बीघा	26500	90,100/-	

Ex-Count

प्रार्थी 90,100/- (अस्सी नब्बे हजार एक सौ रुपये) भरने को तैयार हैं उक्त फर्द रूबरू मौतबिरान एवम् प्रार्थी के तैयार की गई। मौके पर मौका नक्शा चाहे गए रास्ते को बरंग लाल दर्शाते हुए तैयार किया जाकर इस फर्द के संलग्न किया गया।

सहायक कलेक्टर (SDO) चौहटन

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

6/1/2018
द स्तावेज

IRR भी गांधी 6/1/18

फोटो
(फोटा पु० कायम खां)

(आसाराम पु० जेठाराम मेघ)

(दायम पु० अजीज खां)

(अनि. रमदान पु० मनाई खां)

अनि. रहमत पु० आरब खां

(मलार पु० मनाई खां)

आधिकनला विनवार
मौजा इताड़ा
तह० सिड़वा
जि० बाड़मेर
पैमाना १इंच = ७ कर्म

न्यायालय सहायक कलक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी चौहटन के राजस्व आवेदन सं० 283/17 अनवान रहीमतुला वगैरा बनाम मघाराम वगैरा अन्तर्गत धारा R.T. Act 251 A में मौका रिपोर्ट हेतु मौका नक्शा मय प्रस्तावित मार्ग के

Ex-Court

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

रंग लाल (▬) प्रस्तावित मार्ग (26 फीट)
ख. नं. 957/231 में 0.04 बीघा व ख नं 958/231 में 1-10 बीघा कुल 1-14 बीघा

I.L.R. बीजासर 6/1/18

प. इताड़ा